न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 206/2022
GCMS NO. : 2022/388

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. दुर्गादेवी पत्नी श्रवणपुरी 2. नेहा पुत्री श्रवणपुरी जाति–गोस्वामी 3. मंगलपुरी पुत्र रतनपुरी जाति–गोस्वामी निवासी– तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।		1. भंवरपुरी पुत्र रतनपुरी जाति–गोस्वामी 2. प्रदीप कुमार सैन पुत्र कुशलचन्द जाति–सैन 3. महेन्द्रसिंह पुत्र जालुराम जाति–जाट निवासी– ग्राम–सांगावास तहसील–जैतारण 4. सतपाल चौधरी पुत्र दुर्गाराम जाति– जाट, निवासी– पिपलिया खुर्द तहसील–जैतारण जिला–पाली 5. तहसीलदार जैतारण जिला पाली राजस्थान।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.13/12/2022**

उपस्थित:. 1. श्री एम. एस. पठान, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:–29/08/2023**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से लगायत चार की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 186/09 रकबा 3.0999 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण में वाके है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य चुन्दरी बंट अनुसार आपसी सहमति से मौके पर बंटी हुई है व चुन्दरी बंट अनुसार ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण संख्या एक व दो का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या–3 मंगलपुरी का 1/4 हिस्से की भूमि के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है, जिसे दावे के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में वादीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से की भूमि को पीले रंग से दर्शाया गया है तथा वादी संख्या 3 मंगलपुरी के 1/4 हक हिस्से की भूमि को हरे रंग से दर्शाया हुआ है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 भंवरपुरी के 1/4 हिस्से की भूमि को नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया हुआ है व प्रतिवादीगण संख्या 2 से लगायत 04 के हिस्से की 1/4 हिस्से की भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:22 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

लाल स्याही से दर्शाया हुआ है। इसी हिस्सानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है उक्त नजरी नक्शे की प्रति दावे के साथ सलंग्न है जिसे दावे का एक भाग माना जावे। वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य चुन्दरी बंट अनुसार मौके पर बंटी हुई है तथा वादग्रस्त आराजी में से रकबा 0.0557 हैक्टेयर भूमि रास्ता हेतु छोड़ी गई है जो प्रतिवादीगण संख्या 2 से लगायत 04 के हिस्से की भूमि में से कम की जाकर रास्ता बनाया गया है जिसे नजरी नक्शे में काले रंग से दर्शाया हुआ है उक्त रास्ते की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 04 का आवागमन करने का हक अधिकार निहित है इसी रास्ते की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण बतौर रास्ते के रूप में उपयोग-उपभोग करते आ रहे है। वादीगण दावे के साथ सलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये गये हिस्सों एवं रंगों अनुसार वादग्रस्त आराजी का विधिवत् बंटवारा करवाने चाहते है मगर प्रतिवादीगण मौके पर चुन्दरी बंट अनुसार बंटवारा करने में टालमटोल किया जा रहा है, जबकि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती होने की वजह से अब प्रतिवादीगण अनावश्यक वाद विवाद उत्पन्न कर रहे है। इस पर वादीगण ने अपने कब्जे व काश्त की खातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्सानुसार नक्शा देश में तरमीम करवाकर बंटवारा करवाने के लिए प्रतिवादीगण को बार-बार तकाजा/निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 4/12/2022 को साफ मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है। वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाने का काननुन अधिकारी है, इसलिए दावा बाबत तकारमा (बंटवारा) आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वाद पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है व वादीगण अपनी हक हिस्से की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करता आ रहे है मगर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं होने की सूरत में वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में बाधा, रोकटोक, अड़चन इत्यादि पैदा कर रहे है। प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलादाजी, बाधा उत्पन्न करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है ना ही भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा करवाये बिना भूमि को बेचान, इकरार अथवा कब्जा काश्त में दखलांदाजी, बाधा, अड़चन, आवागमन में रुकावट इत्यादि करने का अधिकार है, यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो मौके पर टण्टा फसाद होगा, वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी व वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी. जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन किसी कदर सम्भव नहीं है। इसलिए वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:22 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर जैतारण

का अधिकारी है इसलिए दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 05 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। वादी सं. दो नेहा नाबालिग जरिए कुदरती वलिया माता वादी सं. एक दुर्गादेवी पत्नी श्रवणपुरी गोस्वामी है तथा वादी सं. दो नेहा नाबालिग होने से जरिए कुदरती वलिया माता दुर्गादेवी की वाद अनुमति आदेश 32 नियम 01 सी.पी.सी. के तहत बाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त आदेश 32 नियम 1 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र वाद के साथ अलग से पेश किया जा रहा है। बिनाय दावा दिनांक 04/12/2022 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को चुन्दरी बंट के हिस्सानुसार की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने एवं रास्ते को अवरुद्ध करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम कस्बा जैतारण तहसील जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता शाकीर हुसैन द्वारा वकालतनामा पेश हुआ। अधिवक्ता मय वादीगण एवं अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण द्वारा एक तहरीर राजीनामा पेश हुआ, राजीनामा में कथन किया गया कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण में वाके आरोजी खसरा नम्बर 186/09 रकबा 3.0999 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम स्थित है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य सुन्दरी बंट अनुसार आपसी सहमति से मौके पर बंटी हुई है व चुन्दरी बंट अनुसार ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण संख्या एक व दो का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या-3 मंगलपुरी का 1/4 हिस्से की भूमि के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है जिसे दावे के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में वादीगण संख्या 1 व 2 के 1/4 हिस्से की भूमि को पीले रंग से दर्शाया गया है तथा वादी संख्या 3 मंगलपुरी के 1/4 हक हिस्से की भूमि को हरे रंग से दर्शाया हुआ है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 भंवरीपुरी के 1/4 हिस्से की भूमि को नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया हुआ है प्रतिवादीगण संख्या 2 से लगायत-04 के हिस्से की 1/4 हिस्से की भूमि को लाल स्याही से दर्शाया हुआ है इसी हिस्सानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है उक्त नजरी [illegible] साथ सलग्न है जिसे राजीनामा का एक भाग [illegible] आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य चुन्दरी बट [illegible] बंटी हुई है तथा वादग्रस्त आराजी में से रकबा 0.0557 हैक्टेयर भूमि [illegible] मुमकिन रास्ता हेतु छोड़ी गई है जो प्रतिवादीगण संख्या 2 से लगायत 04 के हिस्से की खातेदारी भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:22 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

से कम की जाकर रास्ता बनाया गया है जिसे नजरी नक्शे में काले रंग से दर्शाया हुआ है उक्त रास्ते की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 04 का आवागमन करने का हक अधिकार निहित है इसी रास्ते की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण बतौर रास्ते के रूप में हमेशा उपयोग-उपभोग करते करेंगे। उक्त रास्ते की भूमि को छोड़कर दावे के साथ नजरी नक्शे में दर्शाई गई लाल रंग की भूमि जिसका रकबा 10-7192 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम भूमि प्रतिवादी संख्या-02 से प्रतिवादी संख्या-4 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रहेगी, तथा वादी संख्या-1 व वादी संख्या-2 का नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाई भूमि में 1/4 हिस्सा (0.7750 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम) रहेगा, वादी संख्या-3 मंगलपुरी का नजरी नक्शे में दर्शाई हरे रंग की भूमि में 1/4 हिस्सा (0.7750 हैक्टेयर किस्म बा॰ दोयम) रहेगा, एवं प्रतिवादी संख्या-1 भंवरीपुरी का दावे के साथ सलंग्न नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाई भूमि में 1/4 हिस्सा (0.7750 हैक्टेयर किस्म बा॰ दोयम) रहेगा। तथा बाद पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में दर्शाये रंगों एवं हिस्सानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण कृषि भूमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करते आ रहे है। उक्त राजीनामा मय वाद पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा किया जाकर मौके पर नेखमबन्दी कर पत्थर गढ्ढी करवाई जावे, वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अलग-अलग खसरा नम्बर बांटकर खसरे में बट्टा नम्बर लगाकर अलग से राजस्व नक्शे में दर्शाई जावे, लगान बांटा जावे, ऐसी बंटवारा की डिक्री जरिए राजीनामा जारी फरमावे। साथ ही बाद बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक-दूसरे के खसरे की भूमि में दखलांदाजी, बाधा, रोकटोंक इत्यादि पैदा करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। राजीनामा प्रस्तुत कर श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि दावे के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में दर्शाये गये रंगों एवं राजीनामा में वर्णित हिस्सानुसार वादग्रस्त आराजी का जरिए राजीनामा बंटवाड़े एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री मय निर्णय फरमावे। बहस वकुलाय उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र, राजीनामा मय नजरी एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण संवत् 2077-2080 का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरूये राजस्व रिकार्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 186/0 रकबा 3.0999 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के हक-हिस्से का माफिक राजीनामा मय नजरी नक्शे के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:22 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते हुए माफिक प्रा०डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा- जैतारण, पटवार हल्का- जैतारण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र- जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला पाली राजस्थान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 186/09 रकबा 3.0999 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें तथा मौके पर नापचौप करके मेखमबन्दी व पत्थरगढी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2023/88 दिनांक 07/02/2023 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/23/1982 दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- जैतारण, पटवार हल्का- जैतारण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र- जैतारण, तहसील- जैतारण, में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 186/09 रकबा 3.0999 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान
1	प्रदीप कुमार पुत्र कुशलचन्द हिस्सा 1/3 कौम सैन सा. सांगावास, महेन्द्रसिंह पुत्र जालुराम हिस्सा 1/3 कौम जाट सा. रानीवाल, सतपाल चौधरी पुत्र दुर्गाराम हिस्सा 1/3 कौम जाट सा. पिपलिया खुर्द	186/9	0.7192	बा. दोयम	0.24
		186/16	0.0557	बा. दोयम	(रास्ता हेतू)
	योग	2	[illegible]7749		
2	दुर्गादेवी पत्नी श्रवणपुरी हिस्सा 1/2, ना.बा. नेहा पुत्री श्रवणपुरी संरक्षक दुर्गादेवी हिस्सा 1/2 कौम गुंसाई सा. देह खातेदार	186/13	[illegible]7750	बा. दोयम	0.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:22 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

3.	भंवरपुरी पुत्र रतनपुरी कौम गुसाई सा. देह खातेदार	186/14	0.7750	बा. दोयम	0.24
4.	मंगलपुरी पुत्र रतनपुरी कौम गुसाई सा. देह	186/15	0.7750	बा. दोयम	0.24

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला– ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/08/2023 को सर–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला– ब्यावर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादीगण:

1. दुर्गादेवी पत्नी श्रवणपुरी
2. नेहा पुत्री श्रवणपुरी
   जाति-गोस्वामी
3. मंगलपुरी पुत्र रतनपुरी
   जाति-गोस्वामी

निवासी- तहसील-जैतारण
जिला-पाली राज.।

प्रतिवादीगण:

1. भंवरपुरी पुत्र रतनपुरी जाति-गोस्वामी
2. प्रदीप कुमार सैन पुत्र कुशलचन्द जाति-सैन
3. महेन्द्रसिंह पुत्र जालुराम जाति-जाट निवासी- ग्राम-सांगावास तहसील-जैतारण
4. सतपाल चौधरी पुत्र दुर्गाराम जाति-जाट, निवासी- पिपलिया खुर्द तहसील-जैतारण जिला-पाली
5. तहसीलदार जैतारण जिला पाली राजस्थान।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 206/2022
निर्णय/ डिक्री दिनांक :- 29.08.2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री एम. एस. पठान, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- जैतारण, पटवार हल्का- जैतारण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र- जैतारण, तहसील- जैतारण, में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 186/09 रकबा 3.0999 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगाान
1	प्रदीप कुमार पुत्र कुशलचन्द हिस्सा 1/3 कौम सैन सा. सांगावास, महेन्द्रसिंह पुत्र जालुराम हिस्सा 1/3 कौम जाट सा. रानीवाल, सतपाल चौधरी पुत्र दुर्गाराम हिस्सा 1/3 कौम जाट सा. पिपलिया खुर्द	186/9	0.7192	बा. दोयम	0.24
		186/16	0.0557	बा. दोयम	(रास्ता हेतू)
	योग	2	0.7749		
2	दुर्गादेवी पत्नी श्रवणपुरी हिस्सा 1/2, ना.बा. नेहा पुत्री श्रवणपुरी संरक्षक दुर्गादेवी हिस्सा 1/2 कौम गुंसाई सा. देह खातेदार	186/[illegible]	[illegible]750	बा. दोयम	0.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:22 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

3.	भंवरपुरी पुत्र रतनपुरी कौम गुसांई सा. देह खातेदार	186/14	0.7750	बा. दोयम	0.24
4.	मंगलपुरी पुत्र रतनपुरी कौम गुसांई सा. देह	186/15	0.7750	बा. दोयम	0.24

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-...... को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/08/2023 को जारी किया गया ।

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला- ब्यावर (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	07-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	-	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः-	10-00	मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:22 IST
Reason: SelfAttested